

प्रेस नोट –
थाना सकरार

दिनांक- 24/04/2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी के कुशल निर्देशन में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध झांसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 24/04/2025 को थाना सकरार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता मोनिका पत्नी अनुराग कंजर निवासी कस्बा सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 30 ली० अवैध कच्ची बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 71/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी। विवरण निम्नवत् है:-

पंजीकृत अभियोग का विवरण – मु०अ०सं०-71/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्ता - मोनिका पत्नी अनुराग कंजर निवासिया कस्बा सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी – 30 ली० अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान- खिरक जाने वाला कच्चा रास्ता मन्दिर के पास, थाना सकरार, जनपद झांसी

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि०/कर्म गण का नाम-

- 1 – अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सकरार जनपद झांसी
- 2 – उ०नि० शिवकान्त दुवे थाना सकरार जनपद झांसी
- 3- का० 1852 रवि कुमार थाना सकरार जनपद झांसी
- 4 – म०का० 1783 रितू थाना सकरार जनपद झांसी